न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : **अवधेश मीना**, आई.ए.एस.

प्र.सं. 08 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : **2024 / 25**

सुभाषचन्द्र पुत्र श्योनारायण गोदारा गांव 22 जीबी तह. श्रीविजयनगर

बनाम

उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 14.03.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर से सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए दिनांक 01.01.2024 का आवेदन जो दिनांक 03.01.2024 को जरिए भारतीय डाक प्रेषित किया गया जो दिनांक 04.01.2024 को एसपीआईओ के कार्यालय में प्राप्त हुआ। दिनांक 09.01.2024 का पत्र क्रमांक / रीडर / 2024 / 83 दिनांक 05.02.2024 जरिए भारतीय डाक प्राप्त हुआ। आवेदन में बिन्दू सं. 1 में प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.12.2023 को आवक नं. 17275 के साथ सौंपे गए पत्र पर कार्यालय के द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज उपलधब्ध कराये सूचना चाही थी। एसपीआईओ के द्वारा प्रश्न के प्रत्युत्तर में केवल यह बताया गया कि अपीलार्थी का सूचना आवेदन, आरटीआई की धारा 6(3) के तहत मांगी गई सूचना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीविजयनगर कार्यालय से संबंधित होने के कारण स्थानान्तरण कर दिया गया हैं। अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई सूचना केवल उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के कार्यालय से संबंधित थी। धारा 6(3) के तहत पांच दिनों में आवेदक को सूचना देते हुए संबंधित को आवेदन स्थानान्तरित करना था लेकिन एसपीईओ के द्वारा ऐसा नहीं किया गया हैं। जो सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हैं। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना एसपीआईओ के कार्यालय से संबंधित थी तथा एसपीआईओ के द्वारा उपर्युक्त पत्र पर कोई उचित कार्यवाही नहीं करने के कारण अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जानबूझकर सूचना आवेदन को स्थानान्तरित किया गया। वांछित सूचनाएं स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराने के आदेश पारित करने एवं सूचना का अधिकार उल्लंघन के लिए लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उचित कार्यवाही का आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर से अपील के संबंध में जवाब तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक / आरटीआई / 2024 / 1411 दिनांक 11.03.2024 के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीविजयनगर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कार्यालय के पत्रांक रीडर / आरटीआई / 2024 / 183 दिनांक 09.01.2024 द्वारा संबंधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को नियमानुसार उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित कर प्रार्थी को सूचित कर दिया गया था।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के द्वारा प्रतिवेदन के साथ उनके कार्यालय के पत्रांक 183 व 184 दिनांक 09.01.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत की हैं, जिस अनुसार उनके द्वारा अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रार्थना पत्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीविजयनगर को हस्तातंरित कर आवेदक / अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा अपील पत्र में अंकित किया गया हैं कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र लोक [illegible] अधिकारी के कार्यालय को दिनांक 04.01.2024 को प्राप्त हो गया था। अपील पत्र के [illegible] प्रस्तुत ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट अनुसार भी आवेदन लो.सू.अधि. को दिनांक 04.01.2024 को प्राप्त [illegible] है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति पत्र अनुसार अपीलार्थी का आवेदन [illegible] दिनांक 09.01.2024 को [illegible] लोक प्राधिकारी को हस्तांतरित करते हुए अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी थी। अ[illegible] द्वारा अपील में अंकित किया गया हैं कि उनको सूचना [illegible]ांक 05.02.2024 को प्राप्त हुई [illegible] साथ ही सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय से संबंधित थी। आवेदन पत्र का हस्तातंरण गलत किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत छायाप्रति आवेदन पत्र जो कि उनके द्वारा लो.सू.अ. को प्रेषित किया गया एवं प्रति प्रा.पत्र (दिनांक 28.12.2023) जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा सूचना की लोक प्राधिकारी से अपेक्षा की गयी का अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन कर उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:50:10 IST
Reason: SelfAttested

26.12.2023(28.12.2023)पर की गई कार्यवाही से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा यदि कार्यालय द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है तो इसका कारण बताने की अपेक्षा की गयी। प्रार्थना पत्र अपीलार्थी जो कि उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष दिनांक 28.12.2023 को प्रस्तुत किया गया हैं उस पर उपखण्ड अधिकारी सीबीईओ पृष्ठांकित किया गया हैं। ऐसे में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से संबंधित होना प्रतीत होता हैं। उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के द्वारा आवेदन पर हस्तांतरित करते हुए आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाई गयी। आवेदक द्वारा आवेदन के द्वारा वांछित सूचना के बिन्दू सं. 2 के कार्यवाही नहीं करने का कारण बताने हेतु निवेदन किया गया हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केवल लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना को प्राप्त करने की अपेक्षा की जा सकती हैं। प्रश्नों का उत्तर देना, सूचना की व्याख्या करना, तथ्यों को खोजकर सूचना का सृजन करना व उपलब्ध करवाना, उठाई गयी समस्याओं का समाधान करना लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित नहीं हैं। हम प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र पर पारित विनिश्चय से सहमत हैं। ऐसी स्थिति में अपील खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:50:10 IST
Reason: SelfAttested